**आदेश 44 नियम 1 CPC के अन्तर्गत अकिंचन अपील**

**(Pauper Appeal under order 44 Rule 1 CPC)**

न्यायालय............

अ० ब० स० ............ वादी

**बनाम**

स० द०फ० ............. प्रतिवादी

प्रार्थी निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है :

1. यह कि प्रार्थी के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है जिस कारण से वह अपील के ज्ञापन पर निर्धारित शुल्क अदा नहीं कर सकता है। प्रार्थना पत्र के साथ अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. यह कि अनुमानित मूल्य चल और अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में संलग्न पत्रक में दर्शाई गई
3. यह कि प्रार्थी वाद दायर करते समय भी अकिंचन के रूप से विचारण न्यायालय में स्वीकार किया जा चुका है।

**प्रार्थना**

इसलिए सविनय प्रार्थना की जाती है कि प्रार्थी को आदेश 44 नियम 1 CPC के तहत आकचन अपील दायर करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

**स्थान ............ दिनांक .......... प्राथीं/अपीलार्थी......**

**द्वारा अधिवक्ता ......**

**नोट** - पुष्टि में शपथपत्र प्रस्तुत करें।